



2026:AHC:30612

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2728 / 2026

जय प्रकाश

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याची के अधिवक्ता : कैलाश नाथ सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

- यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात् सहायक कलक्टर (प्रथम श्रेणी)/तहसीलदार, शाहगंज, जनपद जौनपुर द्वारा नियमावली 2016 के अंतर्गत याची के विरुद्ध नियम 67(2) सहपठित नियम 67(5) के तहत दिनांक 04.09.2025 को नोटिस जारी किया गया है। उपरोक्त से व्यथित होकर याची ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।
- राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल संख्या 2374 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2025 प्रस्तुत किया। यह तर्क दिया गया कि नोटिस उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है और इस न्यायालय में आने के बजाय याची या तो दिनांक 04.09.2025 के नोटिस के उत्तर में अपना जवाब प्रस्तुत करे अथवा उक्त जनहित याचिका में आवेदन दाखिल करे।
- मामले के इस स्वरूप को देखते हुए, याची द्वारा मांगी गई राहत उसे प्रदान नहीं की जा सकती।
- तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"